>

Title: Need to give approval to pending schemes of electrification under 'Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana' in Rajasthan .

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 32 जिलों की योजनाएं बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृति हेतु भिजवाई जा चुकी है। जिला आधारित इन योजनाओं की कुल लागत लगभग 1111.93 करोड़ रूपये है। इन योजनाओं में 1,755,435 बी.पी.एल परिवारों व 527901 सामान्य परिवारों को घरेलू कनैक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कुल 27 योजनाओं की स्वीकृति ही प्रदान की गई है। इन स्वीकृत 27 योजनाओं में से वÂर्ष 2007-2008 के दौरान सवाई माधोपुर/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत तथा बाड़मेर (ए.आइ.ई.पी योजना के तहत) जिलों की योजनाओं का कार्य आर ई सी के द्वारा रोक दिया गया है।

भीलवाड़ा और झालावाड़ जिलों की योजना का क्रियान्वयन पीजीसीआईएल द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। शेष 23 योजनाओं में से जयपुर विद्युत वितरण निगम की 6 योजनाएं, अजमेर विद्युतीकरण निगम की 7 योजनाएं एवं जोधपुर विद्युतीकरण निगम की 10 योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित निगमों द्वारा टर्न की आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। इन 25 योजनाओं में 1705 अविद्युतीकृत ग्रामों, 4315 ढाणियों का विद्युतीकरण 699651 बी पी एल परिवारों का 309632 सामान्य परिवारों को घरेलू कनैक्शन उपलब्ध कराना सम्मिलित किया गया है। 12 योजनाओं के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति इस बंदिश के साथ प्राप्त हुई है कि जब तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उनकी अधिकृत स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब तक इनके क्रियान्वयन हेतु कान्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता।

नागौर और बाड़मेर जिले की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास लंबित है। योजनाओं की स्वीकृति के अभाव में राजस्थान के इन जिलों में घरेलू कनैक्शन मय बी पी एल कनैक्शन जारी नहीं किये जा सकते जिससे कि विभिन्न जिलों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

इस अत्यंत लोक महत्व के विषय की ओर माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर आग्रह है कि राजस्थान राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में प्रस्तावित योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।